



कार्यालय आदेश

जी०एस०टी० व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न डिग्री कालेजों को प्रदान की जाने वाली सेवायें जैसे एफिलेसन, निरीक्षण इत्यादि तथा विश्वविद्यालय को भवन किराया, कैंटीन, साइकिल स्टैण्ड इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय पर जी०एस०टी० लेने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के तारतम्य पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं पर एवं अन्य आय पर वसूल की जाने वाली धनराशि जी०एस०टी० सहित जमा करने की आन लाइन व्यवस्था विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल प्रारम्भ की जा रही है।

अतएव विश्वविद्यालय के समस्त विभाग, अनुभाग, डीन, निदेशक एवं एफिलेटेड कालेजों को अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्धित धनराशि लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद ऑन-लाइन के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस० डी० मौर्य)

फाइल नं० 2338-44/FD दिनांक 07-12-17 वित्त अधिकारी
प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा० कुलपति जी, मा० कुलपति जी को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को मा० प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, ल०वि०वि० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से एफिलेटेड कालेजों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि० लखनऊ।
5. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०वि०, लखनऊ।
6. कुलानुशासक, ल०वि०वि०, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी/उपकुलसचिव (लेखा), ल०वि०वि०, लखनऊ।
8. उपकुलसचिव (प्रशा०), ल०वि०वि०, लखनऊ।
9. इंचार्ज वेबसाइट, कम्प्यूटर सेन्टर, ल०वि०वि०, लखनऊ।

(एस० डी० मौर्य)
वित्त अधिकारी